रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2002/श्रावण 30, 1924
No. 168] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2002/SRAVANA 30, 1924

प्रसार भारती
(भारतीय प्रसारण निगम)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2002

सं. एन. 10/10/2001-पीपीसी.—निगम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .**—(1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ प्रशासनिक एवं समवर्गी पद) सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये विनियम इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **प्रारंभिक संघटन.**—इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय नियमित आधार पर कनिष्ठ प्रशासनिक एवं समवर्गी पदों पर कार्यरत सभी व्यक्ति इन विनियमों के तहत उस पद पर नियुक्त माने जाएंगे। इन विनियमों के लागू होने से पहले उनके द्वारा की गई सेवा अवधि को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति आदि के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

4. **पद संख्या और वेतनमान .**—उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) और (3) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **चयन पद है या अचयन पद, सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं आदि.**—चयन पद है या अचयन पद, सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा, उनके लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं, परीक्षिका अवधि, यदि कोई हो, भर्ती की पद्धति, ग्रेड जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी, विभागीय प्रोन्नति की संरचना उक्त अनुसूची के कालम क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

6. **अनर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

7. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताओं में छूट दे सकता है।

8. **निर्वचन.**—यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निगम द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. प्रधान लिपिक/ सहायक	*319 * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	5,000 - 150 - 8000 /- रूपए	चयन सह वरिष्ठता	आयु- 18 से 25 वर्ष के बीच [सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामलों में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है] टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप मंडल , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मांदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समयक्ष	नहीं	दो वर्ष सीधी भर्ती हेतु	[क] 80 प्रतिशत योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा [ख] 20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	[क] आकाशवाणी या दूरदर्शन के केन्द्रों, स्टेशनों या कार्यालयों में कार्यरत उनके संबंधित ग्रेडों में 05 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्नलिखित ग्रेडों के कर्मचारियों में से योग्यता के आधार पर प्रोन्नति:- [क] 4000- 100- 6000/- रूप के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक स्टोर कीपर [ख] 4000- 100- 6000/- रूप के वेतनमान में केयर टेकर [ग] 4000- 100- 6000/- रूप के वेतनमान में और 4500 - 125- 7000/- रूप के वेतनमान में कनिष्ठ स्वागत अधिकारी। टिप्पणी: विद्यमान पदधारी जो फीडर ग्रेड के पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों वे प्रधान लिपिक/ सहायक के पद पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रोन्नति के पात्र बने रहेंगे।	[1] क्षेत्र प्रमुख- अध्यक्ष *[2] क्षेत्र में आकाशवाणी या दूरदर्शन के वरिष्ठतम अभियंता या वरिष्ठतम केन्द्र निदेशक- सदस्य * [3] वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी- सदस्य * [4] क्षेत्र के आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्र के उप निदेशक प्रशा0 - सदस्य * क्षेत्र प्रमुख द्वारा नामित किए जाऐंगे।

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 हिन्दी अनुवादक	*108 [2002] * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	1.1.96 से 5,000 - 150 - 8,000/ रूपए	लागू नहीं	28 वर्ष टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप मंडल , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहे हों। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री तथा साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय रहे हों या इनमें से कोई एक विषय परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय रहा हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/ अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी/अंग्रेजी के माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी	लागू नहीं	दो वर्ष	[1] 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा [ख]50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: [क] [I] जो सदृश पदधारी हों या [II] जिन्होंने 4000 - 100 - 6000 / रू0 के वेतनमान के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। या [111] जिन्होंने 3050-75-3950-80-4590/- रू0 या समपक्ष वेतनमान के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा [ख] जो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कालम 6 में विहित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं रखते हों। टिप्पणी:- प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	[1] केन्द्र निदेशक या संबंधित कार्यालय प्रमुख - अध्यक्ष [2] हिन्दी अधिकारी या संबंधित कार्यालय का समकक्ष ग्रेड का अधिकारी- सदस्य *[3] समतुल्य रैंक का एक बाह्य अधिकारी - सदस्य *केन्द्र निदेशक/ कार्यालय प्रमुख द्वारा नामित किया जाएगा।

अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य/ वैकल्पिक विषयों सहित स्नातक डिग्री या इन दोनों में से एक विषय परीक्षा का माध्यम रहा हो तथा दूसरा अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय रहा हो तथा हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र या भारत सरकार के उपक्रमों या अन्य संगठनों सहित केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।											

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. कनिष्ठ स्वागत अधिकारी	* 8 [2002] * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	4,000 - 100 6,000 /- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<u>आकाशवाणी स्टेशनों, कार्यालयों/दूरदर्शन केन्द्रों के पदों हेतु</u> [I] संबंधित राज्य के अंतर्गत आकाशवाणी स्टेशनों/कार्यालयों और दूरदर्शन केन्द्रों में नियमित आधार पर कार्यरत प्रवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ स्टोरकीपरों में से या [II] ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों या समतुल्य कर्मचारियों में से <u>आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के पदों हेतु:</u> [1] सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के प्रवर श्रेणी लिपिकों में से। [II] सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के अवर श्रेणी लिपिकों में से जिनकी संबंधित ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो। [III] टिप्पणी:- प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमंत्रण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. कंयरटेकर	*11 [2002] * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	4,000 - 100 - 6,000 /- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<u>प्रतिनियुक्ति पर आकाशवाणी स्टेशनों, कार्यालयों/दूरदर्शन केन्द्रों के पदों हेतु</u> [I] संबंधित राज्य के अंतर्गत आकाशवाणी स्टेशनों/कार्यालयों और दूरदर्शन केन्द्रों में नियमित आधार पर कार्यरत प्रवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ स्टोरकीपरों में से या [II] नियमित आधार पर 8 वर्ष की सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों में से <u>आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के पदों हेतु:</u> [1] सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के प्रवर श्रेणी लिपिकों में से। [II] सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से जिनकी संबंधित ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो। [III] टिप्पणी:- प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. आशुलिपिक ग्रेड-II	*433 [2002] *396 [अंग्रेजी] * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। 37 [हिन्दी]	5,000 - 150 - 8,000 /- रूपए	चयन सह वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	4000-100-6000/- रू0 के वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड-III जिनकी उस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।	<u>विभागीय पदोन्नति समिति:-</u> [1] संयुक्त नदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी- अध्यक्ष [2] उप निदेशक [प्रशा0] समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी- सदस्य [3] वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी- सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. आशुलिपिक ग्रेड-III	*433 [2002] *396 [अंग्रेजी] * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। 37 [हिन्दी]	4,000 - 100 - 6,000 /- रूपए	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच(5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप मंडल , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	[1] मैट्रिकुलेशन या समकक्ष [II] हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और उसका प्रतिलेखन [III] हिन्दी या अंग्रेजी टाईपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति	लागू नहीं	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	[1] सहायक केन्द्र निदेशक/ सहायक केन्द्र अभियंता - अध्यक्ष [2] कार्यक्रम निष्पादक/ सहायक अभियंता- सदस्य [3] प्रशासन अधिकारी- सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. आशुलिपिक [फ्रेंच]	*1 [2002] * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	4,500 - 125 7,000 /- रूपए	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप मंडल , अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	[1] मैट्रिकुलेशन या समकक्ष [II] आशुलिपि [फ्रेंच] में 100 शब्द प्रति मिनट की गति। [III] टाईपिंग [फ्रेंच] में 40 शब्द प्रति मिनट की गति टिप्पणी: 1 अन्यथा सुअर्हता- प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अर्हताओं में ढील दी जा सकती है। टिप्पणी: 2 यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर भर्ती बोर्ड का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता [ओ]में ढील दी जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायीकरण/ दक्षता-रोध पार करने आदि पर विचार करने के लिए - [1] अपर निदेशक [विदेश सेवा प्रभाग] आकाशवाणी, नई दिल्ली - अध्यक्ष [2] उप निदेशक [विदेश सेवा प्रभाग] आकाशवाणी, नई दिल्ली - सदस्य [3] पर्यवेक्षक [फ्रेंच], विदेश सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली - सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. आशुलिपिक [तेलुगु]	*1 [2002] कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	4,000 - 100 6000/- रूपए	लागू नहीं	18- 25 वर्ष के बीच [5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है] टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप मंडल , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	1. तेलुगु विषय के साथ मैट्रिक या समकक्ष 2. तेलुगु भाषा में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि का ज्ञान और उसी भाषा में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईपिंग का ज्ञान । टिप्पणी:- अन्यथा सुअर्हता-प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायीकरण/ दक्षता-रोध पार करने आदि पर विचार करने के लिए - 1 सहायक केन्द्र निदेशक/ सहायक केन्द्र अभियंता या संबंधित कार्यालय में समकक्ष ग्रेड का अधिकारी - अध्यक्ष 2. कार्यक्रम निष्पादक- सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. आशुलिपिक [तमिल]	*10 (2002] कार्यभार के आधार पर [या] परिवर्तन किया जा सकता है।	4,000 - 100 6000/- रूपए	लागू नहीं	18- 25 वर्ष के बीच [5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है] टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप मंडल , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	1. तमिल विषय के साथ मैट्रिक या समकक्ष 2. तमिल भाषा में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि का ज्ञान और 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईपिंग का ज्ञान ।	लागू नहीं	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायीकरण/ दक्षता-रोध पार करने आदि पर विचार करने के लिए - 1. सहायक केन्द्र निदेशक/ सहायक केन्द्र अभियंता - अध्यक्ष 2. कार्यक्रम निष्पादक- सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी- सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. टंकक- [अरबी - I और फारसी- 1]	*1 [2002] कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	3,050 - 75 - 3950 - 80- 4590/- रूपए	लागू नहीं	18- 25 वर्ष के बीच [5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है] टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप मंडल , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	अनिवार्य:- 1. अंग्रेजी के अच्छे ज्ञान के साथ 10वीं या समपक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए। 2. संबंधित विदेशी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा 3 रिक्ति .. से संबंधित विदेशी भाषा में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति हो। टिप्पणी: I अन्यथा सुअर्हता- प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अर्हताओ में ढील दी जा सकती है। टिप्पणी: 2 यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर भर्ती बोर्ड का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता [ओ]में ढील दी जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायीकरण/दक्षता-रोध पार करने आदि पर विचार करने के लिए - 1. उप निदेशक- अध्यक्ष 2. कार्यक्रम निष्पादक, जिसे संबंधित भाषा का कार्यसाधक ज्ञान हो - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा अथवा वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7
11. गेस्टेटनर आपरेटर [वरिष्ठ वेतनमान] [फील्ड कार्यालय]	• 10 [2002] • कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	3050-75-3950-80-4590/- रूपए	चयन सह वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

परिवीक्षा अवधि यदि कोइ हो	भर्ती की पद्धति	श्रेणी जिससे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
लागू नहीं	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	उसी कार्यालय में कार्यरत गेस्टेटनर आपरेटरों [कनिष्ठ वेतनमान] के ग्रेड से जिन्होंने कनिष्ठ ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।	<u>विभागीय प्रोन्नति समिति :</u> <u>आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों के लिए :-</u> [1] संबंधित कार्यालय में सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियंता या समकक्ष स्तर का अधिकारी- अध्यक्ष [2] सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक - सदस्य [3] प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार - सदस्य <u>महानिदेशालय के कार्यालयों के लिए:</u> 1. उपनिदेशक [प्रशासन] - मुख्यालय - अध्यक्ष 2. उप निदेशक [प्रशासन] - सदस्य *3. अनुभाग अधिकारी [कर्मचारी 5 अनुभाग] - सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. प्रवर श्रेणी लिपिक/ स्टोर कीपर	*2173 [2002] * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	4,000 - 100 6,000 /- रूपए	चयन सह वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	[क] 80 प्रतिशत चयन सह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा [ख] 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा	[क] पदोन्नति — आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों/स्टेशनों में 3050-75-3950-80-4590/- रू0 के वेतनमान में कार्यरत ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों या समकक्ष में से जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पणी: नियमित आधार पर फीडर ग्रेड पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारी इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से प्रवर श्रेणी लिपिक/स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नति के पात्र बने रहेंगे। [ख] सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा: - आकाशवाणी/ दूरदर्शन स्टेशनों/ केन्द्रों/कार्यालयों में कार्यरत 3050- 4590/- रू0 के वेतनमान में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव हो।	[1] क्षेत्र प्रमुख- अध्यक्ष [2] क्षेत्र के आकाशवाणी स्टेशन/ दूरदर्शन केन्द्र का वरिष्ठतम अभियंता या वरिष्ठतम केन्द्र निदेशक- सदस्य [3] वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासन अधिकारी- सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. अवर श्रेणी लिपिक/टेली-प्रिंटर आपरेटर/ टेलीफोन परिचर/सारणी-कार लिपिक/हिन्दी भाषा टंकक [फील्ड कार्यालय]	*2286 * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	3,050 - 75 - 3950 - 80 - 4590 /- रूपए	चयन सह वरिष्ठता	आयु- 18 से 25 वर्ष के बीच [5 वर्ष तक की छूट दी ज सकती है] टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख संडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप संडल , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	[1] किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा । [2] अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य भाषा में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग का ज्ञान।	आयु- नहीं शैक्षणिक योग्यता- हां	दो वर्ष	[क] 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा [ख] 5 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा [ग] 5 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा टिप्पणी: उपर्युक्त ख और ग में दर्शाया गया 10 [5+5 प्रतिशत] प्रतिशत का कोटा अगले भर्ती वर्ष में आगे नहीं ले जाया जायेगा।	[क] 5 प्रतिशत रिक्तियों पर पदोन्नति [I] आकाशवाणी/ दूरदर्शन में निचले पद पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों में से जिनकी निचले पद पर 9 वर्ष की नियमित सेवा हो तथा [II] जो कॉलम 6 में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों। [ख] सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 5 प्रतिशत रिक्तियों पर पदोन्नति आकाशवाणी/ दूरदर्शन के ऐसे कर्मचारियों में से जिनकी किसी निचले पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा हो और जो कॉलम 6 में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों, वे सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।	[1]केन्द्र प्रमुख- अध्यक्ष [2] सहायक केन्द्र निदेशक/ सहायक केन्द्र अभियंता/ कार्यक्रम निष्पादक/ सहायक अभियंता - सदस्य [3] वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी- सदस्य

IndiaCode

टिप्पणी: नियमित आधार पर फीडर ग्रेड पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारी इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से तत्कालीन लिपिक ग्रेड- II/ टेलीप्रिंटर आपरेटर/ टेलीफोन परिचारक/ लिपिक/ हिन्दी/भाषा टंकक के पदों पर पदोन्नति के पात्र बने रहेंगे।									

के. एस. वर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन/III/1V/असाधारण/163/02]

IndiaCode

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2002

No. N-10/10/2001-PPC.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These regulations may be called the **Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Administrative and Allied posts) Service Regulations, 2002.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** - These regulations shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Initial Constitution** - All persons appointed at the commencement of these regulation s in the Junior Administrative and Allied posts on regular basis shall be deemed to have been appointed in such posts under these regulations. The service rendered by them before the commencement of these regulations shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion etc. for the next grade.

4. **Number of posts and scales of pay** :- The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the Schedule aforesaid.

IndiaCode

5. **Whether selection post or non-selection post, Age limit for direct recruits, educational and other qualifications** :- Whether selection post or non-selection post, age limit for direct recruits, educational and other qualifications required for direct recruits, whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes, period of probation, if any, method of recruitment, grades from which promotion or deputation to be made, composition of Departmental Promotion Committee shall be as specified in the columns 3,4,5,6,7,8,9,10 and 11 respectively of the Schedule aforesaid.

6. **Disqualification** - No person-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. **Power to relax** - Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax age limit, educational and other qualifications prescribed for direct recruits.

8. **Interpretation** - If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Corporation, in consultation with the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation/ or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Head Clerk/ Assistant	* 319/ 2002 *subject to variation dependant on workload	Rs. 5000-150-8000	Selection -cum- Seniority	Between 18 and 25 years, (Relaxable upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in respect of Schedule Caste or Scheduled Tribes candidates). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of	Degree or equivalent of a recognised University	No	Two years (for direct recruits)	A. 80% by promotion by merit. B. 20% by direct recruitment.	A. Promotion on the basis of merit from amongst the following grades of employees working in Akashvani or Doordarshan Kendra's, Stations or Offices with five years regular service in their respective grades :- a) Upper Division Clerks/ Store Keepers in the scale of Rs. 4000-100-6000/- b) Caretakers in the pay scale of Rs. 4000-100-6000/- c) Junior Reception Officers in the pay scale of Rs. 4000-100-6000/- and Rs. 4500-125-7000/-. *Note:* The existing incumbents holding the feeder grade posts on regular basis for	(i) Zonal Head – Chairman *(ii)The Senior most Engineer or Senior most Station Director of Akashvani or Doordarshan in the Zone – Member *(iii) Senior Administrative ~~Officer/~~ Administrative Officer – Member *(iv) Deputy Director of Administration of Akashvani/ Doordarshan Kendra in the Zone –Member * To be nominated by the Zonal Head.

IndiaCode

				Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.					promotion to the post of Head Clerk/ Assistant shall continue to be eligible for promotion on the date of publication of this notification.	

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - sSeniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputatioor or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2. Hindi Translator	*108/ 2002 *subject to variat-ion depen-dent on work load	Rs. 5000-150-8000 w.e.f. 1.1.96	Not applicable	28 years. 1. *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	Masters Degree of a recognised University in Hindi ०२ English with English and Hindi as a compulsory/ elective subject or as medium of examination at degree level; or Masters degree of a recognized University in any subject other than Hindi/ English with Hindi and English as compulsory/ elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/ elective subject at degree level;	Not applicable	Two years	(i)50% by direct recruitment failing which by deputation (ii) 50% by deputation	<u>On deputation:</u> a. (i) holding analogous posts or (ii) in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with 3 years regular service in the grade or (iii) in the pay scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 or equivalent with 5 years regular service in the grade and b. possessing educational and other qualifications laid down in column 6 for direct recruits *Note* : Period of deputation shall ordinarily not exceed 3	1. Station Director or Head of office concerned – Chairman 2. Hindi Officer or an officer in the equivalent grade in the respective office - Member *3. An outside officer of comparable rank – Member * To be nominated by the Station Director/ Head of Office.

IndiaCode

				Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	or Masters degree of a recognized University in any subject other than Hindi/ English with Hindi/ English medium and English/ Hindi as a compulsory/ Elective subject or a medium of examination at degree level; or Bachelor's degree of a recognized University with Hindi and English as compulsory/ elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/ elective subject plus a recognized Diploma/ certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central/				years.	

IndiaCode

(ii) Lower Division Clerks in the Central Secretariat Clerical Service Cadre of the Ministry of Information and Broadcasting with 8 years service in the grade. *Note:* Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.										

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4. Caretaker	*11/2002 *subject to variation dependent on work load	Rs. 4000-100-6000/	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation	**On deputation** **For posts in Akashvani Stations, Offices/ Doordarshan Kendra's** (i) From amongst Upper Division Clerks/ Junior Storekeepers of Akashvani stations/ offices and Doordarshan Kendras working on regular basis located within the State; or (ii) Lower Division Clerks or equivalent with 8 years service in the grade on regular basis. **For posts in the Directorate General: Akashvani/ Doordarshan** (i) From amongst Upper Division clerks in the Central Secretariat Clerical Service Cadre of the Ministry of Information and	Not applicable

IndiaCode

									Broadcasting ; or (ii) Lower Division Clerks in the Central Secretariat Clerical Service Cadre of the Ministry of Information and Broadcasting with 8 years service in the grade. *Note:* Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.	

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 Stenographer Grade-II	Total:433/ 2002 *396 (English) *subject to variation dependent on work load 37(Hindi)	Rs. 5000-150-8000/-	Selection-cum-Seniority	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion	Stenographer Grade-III in the scale of Rs. 4000-100-6000/- having atleast 5 years regular service in the grade.	Department Promotion Committee: 1. Joint Director, News Service Division, Akashvani – Chairman 2. Deputy Director (Administration), News Service Division, Akashvani –Member 3. Senior Administrative Officer -Member

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6. Stenographer Grade-III	Total: 433/ 2002 *396 (English) *subject to variation dependent on work load 37(Hindi)	Rs. 4000-100-6000/	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable upto 5 years) *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	(i) Matriculation or equivalent (ii) Speed of 80 words per minute in Hindi or English shorthand and transcription thereof. (iii) Speed of 40 words per minute in Hindi or English Typewriting.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	1. Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer - Chairman 2. Programme Executive / Assistant Engineer - Member 3. Administrative Officer – Member

IndiaCode

Name of post	No of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7 Stenographer (French)	*1/2002 *subject to variation depend-ent on work load	Rs. 4500-125-7000/-	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable upto 5 years). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of	1. Matriculation or equivalent 2. Speed in shorthand (French) of 100 words per minute 3. Speed in Typewriting (French) of 40 words per minute *Note 1*: Qualifications are relaxable at the discretion of the Recruitment Board in the case of candidates otherwise well qualified. *Note 2*: The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of Recruitment Board in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Recruitment Board is of the opinion	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	<u>Department Promotion Committee for confirmation crossing of Efficiency bar etc.</u> 1. Additional Director (External Services Division) Akashvani, New Delhi - Chairman 2. Deputy Director, External Service Division, Akashvani, New Delhi -Member 3. Supervisor (French) External Service Division, Akashvani, New

IndiaCode

									Delhi -Member
			Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8 Stenographer (Telugu)	*1/2002 *subject to variation dependent on work load	Rs. 4000-100-6000/-	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable upto 5 years). *Note* : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh,	1. Matriculation or equivalent with Telugu as one of the subjects. 2. Speed of 60 words per minute in Shorthand in Telugu and 25 words per minute in Typewriting in that language. *Note* : Qualifications are relaxable at the discretion of the Recruitment Board in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	<u>For considering confirmation/ crossing of Efficiency bar etc.</u> 1. Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer/ or equivalent grade in the respective office – Chairman 2. Programme Executive – Member 3. Administrative Officer – Member

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9. Stenographer (Tamil)	*10/ 2002 *subject to variation dependent on work load	Rs. 4000-100-6000/-	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable upto 5 years). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahal and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	1. Matriculation or equivalent with Tamil as one of the subjects. 2. Speed of 60 words per minute in Shorthand and 25 words per minute in typewriting in Tamil.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	For considering confirmation crossing of Efficiency bar etc. 1. Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer – Chairman 2. Programme Executive – Member 3. Administrative Officer – Member

IndiaCode

2621 GI/2012—5

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10 Typist (Arabic-1 and Persian-1)	*1/ 2002 *subject to variation dependent on workload	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable upto 5 years). Note: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates- except for the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	Essential : 1.Must have passed 10th standard or equivalent with good knowledge of English; 2. Working knowledge of the foreign language concerned; and 3. Speed of 25 words per minute in typewriting in the foreign language relevant to the vacancy. *Note1*: Qualifications are relaxable at the discretion of the Recruitment Board in the case of candidates otherwise well qualified. *Note 2*: Qualification(s) regarding experiences/ are relaxable at the discretion of the Recruitment Board in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	For confirmation/ crossing of Efficiency Bar etc. 1. Deputy Director – Chairman 2. Programme Executive having working knowledge of the language concerned – Member 3 Administrative Officer – Member

IndiaCode

			Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahal and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	any stage of selection, the Recruitment Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.					

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11. Gestetner Operator (Senior Scale) (Field Office)	*10/2002 *subject to variation dependent on workload	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-	Selection –cum-seniority	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion	From the Grade of Gestetner Operators (Junior scale) working in the same office with 3 years regular service in the Junior grade.	Departmental Promotion Committee, Akashvani Stations/ Doordarshan Kendras 1. Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer or equivalent grade officer in the respective office - Chairman 2. Programme Executive/ Assistant Engineer – Member 3. Administrative Officer/ Head Clerk/ Accountant – Member For Directorate General Offices: 1. Deputy Director Administration (Headquarters) –Chairman 2. Deputy Director Administration –Member 3. Section Officer (Staff V) - Member

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12. Upper Division Clerk/ Storekeeper	*2173/ 2002 *subject to variation dependent on workload	Rs. 4000-100-6000/	Selection –cum-seniority	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	(a) 80% by promotion on the basis of selection-cum- seniority (b) 20% by promotion on the basis of limited Departmental Competitive Examination	(a) Promotion : Promotion from amongst Lower Division Clerks or equivalent working in Akashvani/ Doordarshan Kendras/ Stations with eight years regular service in the grade Rs. 3050-75-3950-80-4590. Note:- The existing incumbents holding the feeder grade posts on regular basis for promotion to the post of UDC/ Store Keeper shall continue to be eligible for promotion on the date of publication of these regulations. (b) Limited Departmental	1. Zonal Head – Chairman 2. The Senior most Engineer or Senior most Station Director of All India Radio Station/ Doordarshan Kendra in the Zone – Member 3. Senior Administrative Officer/ Administrative Officer in the absence of Senior Administrative Officer -Member

IndiaCode

	Competitive Examination:- Lower Division Clerks in the pay scale of Rs. 3050-4590/- working in AIR/ Doordarshan Stations/ Kendras / Offices with 5 years experience									

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ or deputation or absorption to be made.	If Department Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13. Lower Division Clerk/ Teleprinter Operator/ Telephone Attendant/ Tabulator Clerk/ Hindi Language Typist. (Field Office)	*2286 *subject to variation depend-ent or workload	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection – cum-seniority	Age. Between 18 and 25 years (relaxable upto 5 years). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	1. Matriculation or an equivalent examination from a recognised Board/ University; 2. Knowledge of typing at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi or in any other language listed in the Eighth Schedule to the Constitution.	Age : No Educational Qualification: Yes	Two Years	A. 90% by direct recruitment B. 5% by promotion C. 5% by promotion on the basis of limited departmental competitive examination. *Note*: The 10% quota (5+5) at B and C above shall not be carried forward to the next recruitment years.	A. Promotion to the 5% vacancies (i) From amongst employees of Akashvani/ Doordarshan having nine years regular service in a lower post, and (ii) possessing the educational qualifications prescribed in column 6. B. Promotion to the 5% vacancies on the basis of limited departmental competitive examination; From amongst employees of Akashvani/ Doordarshan with five years regular service in	1. Station Head – Chairman 2. Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer/ Programme Executive/ Assistant Engineer - Member 3. Senior Administrative Officer / Administrative Officer - Member

IndiaCode

				Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.					a lower post and possessing the educational qualification prescribed in column 6 shall be eligible to appear in the limited departmental examination. *Note* : The existing incumbents holding the feeder grade posts on regular basis for promotion to the erstwhile post of Clerk Grade II/Teleprinter Operator/Telephone Attendent/Tabulator Clerk/Hindi/Language typist shall continue to be eligible for promotion on the date of publication of this notification.	

K. S. SARMA, Executive Member

[ADVT/III/IV/Exty./163/02]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode